61. आय-कर अधिनियम की धारा 158खज के पश्चात् निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-- नई धारा 158खझ का अंतःस्थापन ।

"158खझ. इस अध्याय के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां 31 मई, 2003 के पश्चात् धारा 132 के अधीन कोई तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन लेखाबहियां, अन्य दस्तावेज या किन्हीं आस्तियों की अध्यपेक्षा की जाती है ।"। अध्याय का कतिपय् तारीख के पश्चात् लागू न होना।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 163 की उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 163 का संशोधन।

'**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "कारबारी संपर्क" पद का वही अर्थ है जो इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 2 में है ।'।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 184 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2004 से रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 184 का संशोधन।

'(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी निर्धारण वर्ष की बाबत किसी फर्म की ओर से ऐसी कोई असफलता होती है जो धारा 144 में उल्लिखित है वहां फर्म का इस प्रकार निर्धारण किया जाएगा कि ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक के संदाय के रूप में, चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, जो ऐसी फर्म द्वारा ऐसी फर्म के किसी भागीदार को किया गया हो, कोई कटौती "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में अनुज्ञात नहीं की जाएगी और ऐसा ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, भागीदार की कुल आय में, धारा 28 के खंड (V) के अधीन आय-कर के लिए प्रभार्य नहीं होगा ।'।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 185 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2004 से रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 185 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

'185. इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई फर्म, किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 184 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती है वहां उस फर्म का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक के संदाय के रूप में, चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, जो ऐसी फर्म द्वारा ऐसी फर्म के किसी भागीदार को किया गया हो, कोई कटौती "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में अनुज्ञात नहीं की जाएगी और ऐसा ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, भागीदार की कुल आय में, धारा 28 के खंड (V) के अधीन आय-कर के लिए प्रभार्य नहीं होगा ।'। जब धारा 184 का अनुपालन नहीं किया जाता है तब निर्धारण।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 191 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 191 का संशोधन।

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि यदि धारा 200 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति और धारा 194 में निर्दिष्ट मामलों में प्रधान अधिकारी और वह कंपनी, जिसका वह प्रधान अधिकारी है, संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करता है और ऐसे कर को निर्धारिती द्वारा सीधे संदत्त नहीं किया गया है तो ऐसा व्यक्ति, प्रधान अधिकारी और कंपनी को, ऐसे किन्हीं अन्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो वह या यह उपगत करे, ऐसे कर की बाबत धारा 201 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा ।"।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 193 में, आरंभिक भाग में, "किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "किसी निवासी को किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" शब्द 1 जून, 2003 से रखे जाएंगे । धारा 193 का संशोधन।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 194 में,— धारा 194 का संशोधन।

(क) पहले परंतुक के खंड (ख) में, "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे और 1 अगस्त, 2002 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि धारा 115ण में निर्दिष्ट किन्हीं लाभांशों की बाबत कोई कटौती नहीं की जाएगी ।"।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (4) और उपधारा (5) का 1 जून, 2003 से लोप किया जाएगा । धारा 194ग का संशोधन।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 194छ में, उपधारा (2) और उपधारा (3) का 1 जून, 2003 से लोप किया जाएगा । धारा 194छ का संशोधन।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 194झ में, आरंभिक भाग में, "कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब नहीं है और जो किसी व्यक्ति को किराए के रूप में किसी आय का संदाय करने का उत्तरदायी है" शब्दों के स्थान पर, "कोई व्यक्ति जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब नहीं है और जो किसी निवासी को किराए के रूप में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है" शब्द 1 जून, 2003 से रखे जाएंगे । धारा 194झ का संशोधन।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ में 1 जून, 2003 से,— धारा 194ञ का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट कोई व्यष्टि या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब, वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस के रूप में राशि पर आय-कर की कटौती का दायी नहीं होगा यदि ऐसी राशि ऐसे व्यष्टि या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से जमा या संदत्त की जाती है ।";

(ख) उपधारा (2) और उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 194ट में,— धारा 194ट का संशोधन।

(क) पहले परंतुक में, "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे और 1 अगस्त, 2002 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् जमा की गई या संदत्त किसी ऐसी आय से इस धारा के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी ।"।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 195 में,— धारा 195 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "(जो प्रतिभूतियों पर ब्याज नहीं है)" कोष्ठकों और शब्दों का 1 जून, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(ii) परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि धारा 115ण में निर्दिष्ट किसी लाभांश की बाबत कोई कटौती नहीं की जाएगी ।";

(ख) उपधारा (2) में, "(जो प्रतिभूतियों पर ब्याज और वेतन से भिन्न है)" कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, "(जो वेतन से भिन्न है)" 1 जून, 2003 से कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 196क का संशोधन।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 196क की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी ऐसी आय से नहीं की जाएगी, जो 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् जमा या संदत्त की गई है ।"।

धारा 196ग का संशोधन।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 196ग में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु धारा 115ण में निर्दिष्ट किसी लाभांश की बाबत कोई कटौती नहीं की जाएगी ।"।

धारा 196घ का संशोधन।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 196घ की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु धारा 115ण में निर्दिष्ट किसी लाभांश की बाबत ऐसी कोई कटौती नहीं की जाएगी ।"।

धारा 197 का संशोधन।

77. आय-कर अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (1) में 1 जून, 2003 से,—

(क) "किसी व्यक्ति की किसी आय" शब्दों के स्थान पर, "किसी व्यक्ति की कोई आय या किसी व्यक्ति को संदेय राशि" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "धारा 194क, धारा 194घ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ट, धारा 194ठ," शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 194क, धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ट," शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 197क का संशोधन।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 197क में, 1 जून, 2003 से,—

(क) उपधारा (1ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ग) धारा 193 या धारा 194 या धारा 194क या धारा 194ङङ या धारा 194ट या इस धारा की उपधारा (1ख) में किसी बात के होते हुए भी, उक्त धाराओं में से किसी के अधीन कर की कोई कटौती ऐसे किसी निवासी भारतीय व्यष्टि की दशा में नहीं की जाएगी, जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक की आयु का है और धारा 88ख में निर्दिष्ट अपनी कुल आय पर आय-कर की रकम से कटौती के लिए हकदार है, यदि ऐसा व्यष्टि, यथास्थिति, धारा 193 या धारा 194 या धारा 194क या धारा 194ङङ या धारा 194ट में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय के संदाय के लिए दायी व्यक्ति को विहित प्ररूप में दो प्रतियों में लिखित रूप में और विहित रीति में सत्यापित इस प्रभाव की एक घोषणा प्रस्तुत कर देता है कि उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसी आय उसकी कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित की जानी है, उसकी अनुमानित कुल आय पर, कर शून्य होगा । ";

(ख) उपधारा (2) में, "या उपधारा (1क)" शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, "या उपधारा (1ग)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 206 का संशोधन।

79. आय-कर अधिनियम की धारा 206 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं, 1 जून, 2003 से रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति अपने विकल्प पर ऐसी स्कीम के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय को या उसके पूर्व किसी फ्लापी, डिस्कैट, मेग्नेटिक कारटिज टेप, सीडी-रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय संचार माध्यम पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंप्यूटर संचार माध्यम कहा गया है) और ऐसी रीति में, जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी विवरणी परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा :

परंतु इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन प्रत्येक कंपनी की दशा में इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रधान अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय के भीतर उक्त स्कीम के अधीन कंप्यूटर संचार माध्यम पर ऐसी विवरणियां परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात होते हुए भी, कंप्यूटर संचार माध्यम पर फाइल की गई किसी विवरणी को इस धारा और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए विवरणी समझा जाएगा और वह उसके अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में, मूल को पेश करने के और सबूत के बिना मूल की किन्हीं अंतर्वस्तुओं के या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी ।

(4) जहां निर्धारण अधिकारी का यह विचार है कि उपधारा (2) के अधीन परिदत्त की गई या परिदत्त कराई गई विवरणी दोषपूर्ण है वहां वह, यथास्थिति, कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी को दोष के बारे में सूचित कर सकेगा और ऐसी सूचना की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर और ऐसी और अवधि के भीतर जो इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर निर्धारण अधिकारी, अपने विवेकाधिकार से अनुज्ञात करे, दोष का सुधार करने का उसे अवसर दे सकेगा और यदि, यथास्थिति, पन्द्रह दिन की उक्त अवधि या इस प्रकार अनुज्ञात की गई और अवधि के भीतर दोष को सुधारा नहीं जाता है तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी विवरणी को अविधिमान्य विवरणी माना जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति विवरणी देने में असफल रहा हो ।"।

धारा 206ग का संशोधन।

80. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में, 1 जून, 2003 से,—

(क) उपधारा (1) में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सारणी

क्रम सं0	माल की प्रकृति	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)
(i)	मानव उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर और तेंदू पत्ते	दस प्रतिशत
(ii)	वन पट्टे के अधीन अभिप्राप्त काष्ठ	पंद्रह प्रतिशत
(iii)	वन पट्टे के अधीन से भिन्न किसी धन से अभिप्राप्त काष्ठ	पांच प्रतिशत
(iv)	कोई अन्य वनोत्पाद जो काष्ठ या तेंदू पत्ते नहीं हैं	पंद्रह प्रतिशत
(v)	स्क्रैप	दस प्रतिशत :";

(ख) उपधारा (11) के नीचे स्पष्टीकरण में, खंड (क) में, उपखंड (i) से उपखंड (iii) तक के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(i) कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी, या

(ii) ऐसे विक्रय के अनुसरण में अभिप्राप्त ऐसे माल के आगे विक्रय में कोई क्रेता ;"।

धारा 230 का संशोधन।

81. आय-कर अधिनियम की धारा 230 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं, 1 जून, 2003 से रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसा कोई व्यक्ति,—

(क) जो भारत में अधिवासी नहीं है ;

(ख) जो अपने कारबार, वृत्ति या नियोजन के संबंध में भारत में आया है ; और

(ग) जिसकी भारत में किसी स्रोत से व्युत्पन्न आय है,

भारत का राज्यक्षेत्र भू-मार्ग, जलमार्ग या वायुमार्ग से तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए,—

(i) अपने नियोजक से, या

(ii) ऐसे व्यक्ति से, जिसके माध्यम से ऐसा व्यक्ति आय प्राप्त करता है,

विहित प्ररूप में इस आशय का कोई वचनबंध नहीं दे देता है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत में अधिवासी नहीं है, संदेय कर खंड (i) में निर्दिष्ट नियोजक या खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा और विहित प्राधिकारी वचनबंध की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्ति को तुरंत भारत छोड़ने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देगा :

परंतु उपधारा (1) की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो भारत में अधिवासी नहीं है किंतु किसी विदेशी पर्यटक के रूप में या कारबार, वृत्ति या नियोजन से असंबद्ध किसी अन्य प्रयोजन के लिए भारत में आता है ।

(1क) ऐसे अपवादों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत में अधिवासी है, अपने प्रस्थान के समय आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, विहित प्ररूप में निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा,—

(क) धारा 139क के अधीन उसे आबंटित स्थायी खाता संख्यांक :

परंतु यदि ऐसा स्थायी खाता संख्यांक उसे आबंटित नहीं किया गया है या उसकी कुल आय आय-कर से प्रभार्य नहीं है या वह इस अधिनियम के अधीन स्थायी खाता संख्यांक प्राप्त करने के लिए अपेक्षित नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ;

(ख) भारत के बाहर से उसके आने का प्रयोजन ;

(ग) भारत के बाहर उसके ठहरने की अनुमानित अवधि :

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति,—

(i) जो अपने प्रस्थान के समय भारत में अधिवासी है ; और

(ii) जिसके संबंध में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण आय-कर अधिकारी की राय में इस धारा के अधीन प्रमाणपत्र प्राप्त करना उसके लिए आवश्यक है,

भारत का राज्यक्षेत्र भू-मार्ग, जलमार्ग या वायुमार्ग से तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह आय-कर प्राधिकारी से इस बात का कथन करने वाला एक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लेता है कि उसका इस अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 या दान-कर अधिनियम, 1958 या व्यय-कर अधिनियम, 1987 के अधीन कोई दायित्व नहीं है या यह कि ऐसे सभी या किसी कर के संदाय के लिए, जो उस व्यक्ति द्वारा संदेय है या संदेय हो सकते हैं, समाधानप्रद इंतजाम कर दिए गए हैं :

1957 का 27
1958 का 18
1987 का 35

परंतु कोई आय-कर प्राधिकारी, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए, जो भारत में अधिवासी है, इस धारा के अधीन प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना तब तक अनिवार्य नहीं करेगा जब तक कि वह उसके लिए कारण अभिलिखित नहीं करता है और मुख्य आय-कर आयुक्त का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लेता है ।"।

धारा 234क का संशोधन।

82. आय-कर अधिनियम की धारा 234क में, 1 जून, 2003 से,—

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 3 में, "धारा 147 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 147 या धारा 153क के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) "धारा 148 के अधीन किसी सूचना द्वारा" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 148 या धारा 153क के अधीन किसी सूचना द्वारा" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "धारा 147" शब्द और अंकों के पश्चात्, "या धारा 153क" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 234ख का संशोधन।

83. आय-कर अधिनियम की धारा 234ख में, 1 जून, 2003 से,—

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में, "धारा 147 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 147 या धारा 153क के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "धारा 147 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां वे आते हैं, "धारा 147 या धारा 153क के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

नई धारा 234घ का अंतःस्थापन।

84. आय-कर अधिनियम की धारा 234ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अधिक प्रतिदाय पर ब्याज।

"234घ. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन कोई प्रतिदाय निर्धारिती को मंजूर किया जाता है और—

(क) नियमित निर्धारण पर कोई प्रतिदाय देय नहीं है ; या

(ख) धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिदेय रकम नियमित निर्धारण पर प्रतिदेय रकम से अधिक है,

वहां निर्धारिती, प्रत्येक मास या प्रतिदाय की मंजूरी की तारीख से ऐसे नियमित निर्धारण की तारीख तक की अवधि में समाविष्ट किसी मास के भाग के लिए इस प्रकार प्रतिदाय की गई संपूर्ण या अधिक रकम पर दो बटा तीन प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(2) जहां धारा 154 या धारा 155 या धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी आदेश के या धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन समझौता आयोग के किसी आदेश के परिणामस्वरूप धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम, यथास्थिति, पूर्ण रूप में या भागरूप में सही रूप में अनुज्ञात की गई पाई जाती है वहां उपधारा (1) के अधीन प्रभार्य ब्याज, यदि कोई हो, तदनुसार घटा दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई निर्धारण धारा 147 या धारा 153क के अधीन पहली बार किया जाता है वहां इस प्रकार किए गए निर्धारण को इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियमित निर्धारण माना जाएगा ।"।

धारा 245ढ का संशोधन।

85. आय-कर अधिनियम की धारा 245ढ के खंड (क) में,—

(क) उपखंड (ii) में, 1 जून, 2000 से,—

(i) "ऐसे संव्यवहार" शब्दों के पश्चात्, "से व्युत्पन्न किसी अनिवासी के कर दायित्व" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ii) "किसी अनिवासी" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे अनिवासी" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां इस खंड के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी निवासी आवेदक द्वारा किसी आवेदन की बाबत प्राधिकारी द्वारा कोई अग्रिम विनिर्णय, उस तारीख, जिसको वित्त विधेयक, 2003 पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, से पहले सुनाया जाता है वहां ऐसा विनिर्णय, जो ऐसी तारीख से ठीक पूर्व था, धारा 245ध में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर आबद्धकर होगा ।"।

धारा 246क का संशोधन।

86. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खक) धारा 153क के अधीन निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश;"।

धारा 269न का संशोधन।

87. आय-कर अधिनियम की धारा 269न में, परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात,—

(i) सरकार से ;

(ii) किसी बैंककारी कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक से ;

(iii) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम से ;

(iv) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी से ; 1956 का 1

(v) किसी अन्य संस्था, संगम या निकाय या संस्थाओं, संगमों या निकायों के वर्ग से, जो केंद्रीय सरकार, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित करे,

लिए गए या प्राप्त किए गए किसी ऋण या निक्षेप के प्रतिसंदाय को लागू नहीं होगी ।"।

धारा 271ङ का संशोधन।

88. आय-कर अधिनियम की धारा 271ङ की उपधारा (1) में, "निक्षेप" शब्द के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, "ऋण या निक्षेप" शब्द 1 जून, 2003 से रखे जाएंगे ।

धारा 275 का संशोधन।

89. आय-कर अधिनियम की धारा 275 की उपधारा (1) में, 1 जून, 2003 से :—

(क) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु उस दशा में जहां सुसंगत निर्धारण या अन्य आदेश धारा 246 या धारा 246क के अधीन आयुक्त (अपील) को अपील का विषय है और आयुक्त (अपील) ऐसी अपील को निपटाने का 1 जून, 2003 को या उसके पश्चात् आदेश पारित करता है वहां शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें वह कार्यवाही पूर्ण हुई है, जिसके अनुक्रम में शास्ति के अधिरोपण की कार्रवाई प्रारंभ की गई है, समाप्ति से पूर्व या उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें आयुक्त (अपील) का आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त को प्राप्त होता है, अंत से एक वर्ष के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, पारित किया जाएगा ;";

(ख) खंड (ख) में, "धारा 263" शब्द और अंकों के पश्चात् "या धारा 264" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

90. आय-कर अधिनियम की धारा 276गग में, "धारा 148" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 148 या धारा 153क" शब्द, अंक और अक्षर 1 जून, 2003 से रखे जाएंगे । धारा 276गग का संशोधन।

91. आय-कर अधिनियम की धारा 285ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 285खक का अंतःस्थापन।

"285खक. ऐसा कोई निर्धारिती, जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई वित्तीय संव्यवहार करता है, जो विहित किया जाए, किसी पूर्ववर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए ऐसे वित्तीय संव्यवहार की बाबत, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, विहित समय के भीतर जो विहित की जाए, एक वार्षिक सूचना विवरणी देगा ।"। वार्षिक सूचना विवरणी।

92. आय-कर अधिनियम में, बारहवीं अनुसूची के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2004 से निम्नलिखित अनुसूचियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— तेरहवीं और चौदहवीं अनुसूचियों का अंतःस्थापन ।

"तेरहवीं अनुसूची

[धारा 80झग(2) देखिए]

वस्तुओं या चीजों की सूची

भाग क

सिक्किम राज्य के लिए

क्रम सं0	वस्तु या चीज
1.	तम्बाकू और तंबाकू उत्पाद (जिसमें सिगरेट, सिगार और गुटका आदि हैं)
2.	वातित ब्रांडयुक्त सुपेय
3.	प्रदूषण करने वाला कागज और कागज उत्पाद

भाग ख

हिमाचल प्रदेश राज्य और उत्तरांचल राज्य के लिए

क्रम सं0	क्रियाकलाप या वस्तु या चीज	उत्पाद-शुल्क वर्गीकरण	राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन. आई. सी.) वर्गीकरण 1998 के अधीन उपवर्ग
1.	तम्बाकू और तंबाकू उत्पाद, जिसमें सिगरेट और पान मसाला है	24.01 से 24.04 और 21.06	1600
2.	तापीय विद्युत संयंत्र (कोयला/तेल आधारित)		40102 या 40103
3.	कोयला धोवनशाला/शुष्क कोयला प्रसंस्करण		
4.	अकार्बनिक रसायन जिसमें ओषधीय श्रेणी की आक्सीजन (2804.11), ओषधीय श्रेणी हाइड्रोजन पराक्साइड (2847.11), संपीडित वायु (2851.30) सम्मिलित नहीं हैं	अध्याय 28	
5.	कार्बनिक रसायन जिसमें प्रोविटामिन/विटामिन, हार्मोन (29.36), ग्लुकोसाइड (29.39), चीनी* (29.40) सम्मिलित नहीं हैं	अध्याय 29	24117
6.	चर्मसंस्करण और रंजक निष्कर्ष, टेनिन और उनके व्युत्पन्न, रंजक, रंग, पेंट और वार्निश ; पुटी, भरक और अन्य मस्टिक ; स्याहियां	अध्याय 32	24113 या 24114
7.	मार्बल और खनिज पदार्थ, जो कहीं और वर्गीकृत नहीं है	25.04 25.05	14106 या 14107
8.	फ्लोर मिल/राइस मिल	11.01	15311
9.	गलाईशाला जिसमें कोयले का प्रयोग होता है		
10.	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद ; बिटुमनी पदार्थ : खनिज मोम	अध्याय 27	
11.	संश्लिष्ट रबड़ उत्पाद	40.02	24131
12.	सीमेंट क्लिंकर और कच्चा ऐस्बेस्टास जिसके अंतर्गत फाइबर भी है	2502.10 2503.00	
13.	विस्फोटक (जिसमें औद्योगिक विस्फोटक, डिटोनेटर और फ्यूल्स, आतिशबाजी, दियासलाई, नोदक चूर्ण आदि भी हैं)	36.01 से 36.06	24292
14.	खनिज या रासायनिक उर्वरक	31.02 से 31.05	2412
15.	कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी और नाशक जीवमार (आधारिक विनिर्माण और निर्मिति)	3808.10	24211 या 24219
16.	भग्नकांच और उसकी वस्तुएं	70.14	26102
17.	लुगदी-काष्ठ लुगदी का विनिर्माण, यांत्रिक या रासायनिक रूप से (जिसमें विघटन लुगदी भी है)	47.01	21011
18.	ब्रांडयुक्त वातित जल/मृदु पेय (गैर-फल आधारित)	2201.20 2202.20	15541 या 15542
19.	कागज लेखन या मुद्रण कागज आदि कागज या पेपरबोर्ड आदि मेपलिथो कागज आदि अखबारी कागज, रोलों में या शीटों में	4801 4802.10 4802.20 4802.30 4801.00	21011 से 21019

क्रम सं0	क्रियाकलाप या वस्तु या चीज	उत्पाद-शुल्क वर्गीकरण	राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन. आई. सी.) वर्गीकरण 1998 के अधीन उपवर्ग
	क्राफ्ट पेपर, आदि	4804.10	
	स्वच्छता तौलिए, आदि	4818.10	
	सिगरेट का कागज	48.13	
	चिकनाई रोधी कागज	4806.10	
	शौच या आनन उत्तक, आदि	4803	
	कागज और पेपरबोर्ड, बिटुमनी तार या अस्फाल्ट के साथ		
	आंतरिक रूप से पटलित	4807.10	
	कार्बन या वैसे ही प्रतिलिपन कागज	4809.10	
	प्लास्टिक आदि से विलेपित, संसेचित या आच्छादित कागज		
	या पेपरबोर्ड वाले उत्पाद	4811.20	
	मोम आदि से संसेचित, विलेपित या आच्छादित कागज और पेपरबोर्ड	4811.40	
20.	प्लास्टिक और उसकी वस्तुएं	39.09 से 39.15	

* क्रम संख्या 5 : संश्लेषण द्वारा पुनरुत्पादन अनुज्ञात नहीं है जैसा चीनी के लिए अनुप्रवाह उद्योगों में भी है।

चौदहवीं अनुसूची

[धारा 80झग(2) देखिए]

वस्तुओं या चीजों या संक्रियाओं की सूची

भाग क

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए

1. निम्नलिखित का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले फल और वनस्पति प्रसंस्करण उद्योग
   - (i) डिब्बाबंद या बोतलबंद उत्पाद ;
   - (ii) वातित पैकेज उत्पाद;
   - (iii) हिमशीतित उत्पाद;
   - (iv) गैर जलीकृत उत्पाद ;
   - (v) आलियोरेजिन ।
2. निम्नलिखित का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले मांस और कुक्कुट उत्पाद उद्योग
   - (i) मांस उत्पाद (भैंस, भेड़, बकरी और सूअर);
   - (ii) कुक्कुट उत्पादन;
   - (iii) अंडा चूर्ण संयंत्र ।
3. निम्नलिखित का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले अनाज आधारित उत्पाद उद्योग
   - (i) मक्का पेषण जिसमें स्टार्च और उसके व्युत्पन्न भी हैं;
   - (ii) ब्रेड, बिस्कुट, जलपान अनाज ।
4. निम्नलिखित का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले खाद्य और पेय उद्योग
   - (i) स्नैक ;
   - (ii) गैर एल्कोहाली सुपेय;
   - (iii) मिष्ठान जिसमें चाकलेट भी है;
   - (iv) पस्टा उत्पाद ;
   - (v) प्रसंस्कृत मसाले आदि ;
   - (vi) प्रसंस्कृत दालें ;
   - (vii) टेपिओका उत्पाद ।
5. निम्नलिखित का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले दुग्ध और दुग्ध आधारित उत्पाद उद्योग
   - (i) दुग्ध चूर्ण ;
   - (ii) पनीर ;
   - (iii) मक्खन/घी;
   - (iv) शिशु आहार ;
   - (v) छोटे बच्चों का आहार ;
   - (vi) माल्टित दुग्ध आहार ।

6. खाद्य पैकेजिंग उद्योग ।
7. कागज उत्पाद उद्योग ।
8. जूट और मिस्टा उत्पाद उद्योग ।
9. पशु या कुक्कुट या मछली खाद्य उत्पाद उद्योग ।
10. खाद्य तेल प्रसंस्करण या वनस्पति उद्योग ।
11. आवश्यक तेलों का प्रसंस्करण और सुगंधी उद्योग ।
12. पौध रोपण फसलें, चाय, रबड़, काफी, नारियल आदि का प्रसंस्करण और संवर्धन ।
13. निम्नलिखित का विनिर्माण या उत्पादन करने वाले गैस आधारित मध्यवर्ती उत्पाद उद्योग,—
    (i) गैस खोज और उत्पादन ;
    (ii) गैस वितरण और भरण ;
    (iii) विद्युत उत्पादन ;
    (iv) प्लास्टिक ;
    (v) सूत की कच्ची सामग्री ;
    (vi) उर्वरक ;
    (vii) मेथनॉल ;
    (viii) फारमलडिहाइड और एफआर रेजिन मिलेमिन और एमएफ रेजिन ;
    (ix) मिथाइलेमिन, हैक्सामिथाइलिन, टेट्रामिन, अमोनियम बाईकार्बोनेट ;
    (x) नाइट्रिक अम्ल और अमोनियम नाइट्रेट ;
    (xi) कार्बन ब्लैक ;
    (xii) पालिमर चिप्स ।
14. कृषि वनोत्पाद आधारित उद्योग ।
15. उद्यान कृषि उद्योग ।
16. खनिज आधारित उद्योग ।
17. पुष्पकृषि उद्योग ।
18. कृषि आधारित उद्योग ।

भाग ख

सिक्किम राज्य के लिए

क्रम सं0	क्रियाकलाप या वस्तु या चीज या संक्रिया
1.	पारिस्थितिक पर्यटन, जिसमें होटल भी हैं, रिजॉर्ट, स्पा, मनोरंजन पार्क और रज्जू मार्ग ।
2.	हस्तशिल्प और हथकरघा ।
3.	ऊन और रेशम रीलिंग, बुनाई और प्रसंस्करण, छपाई आदि ।
4.	पुष्पकृषि ।
5.	यथार्थता इंजीनियरी, जिसमें घड़ी निर्माण भी है ।
6.	इलैक्ट्रानिकी जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी (सू. प्रौ.) संबंधित उद्योग भी हैं ।
7.	खाद्य प्रसंस्करण जिसमें कृषि आधारित उद्योग, फलों और वनस्पतियों का प्रसंस्करण, परीरक्षण और पैकेजिंग भी है (जिसमें पारंपरिक संदलन/निष्कर्षण यूनिट नहीं हैं) ।
8.	ओषधीय और ऐरोमेटिक साख-रोपण और प्रसंस्करण ।
9.	बागान फसलें जैसे चाय, नारंगी और इलायची का संवर्धन और प्रसंस्करण ।
10.	खनिज आधारित उद्योग ।
11.	भेषजीय उत्पाद ।
12.	शहद ।
13.	जैव प्रौद्योगिकी ।

भाग ग

हिमाचल प्रदेश राज्य और उत्तरांचल राज्य के लिए

क्रम सं0	क्रियाकलाप या वस्तु या चीज या संक्रिया	4/6 अंक उत्पाद-शुल्क वर्गीकरण	राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन. आई. सी.) वर्गीकरण के अधीन उपवर्ग 1998	आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण 4/6 अंक
1.	पुष्पकृषि	-	-	0603 या 06120 या 06029020 या 06024000
2.	ओषधीय साख या ऐरोमेटिक साख आदि, प्रसंस्करण	-	-	-
3.	शहद	-	-	040900
4.	कृषि उद्यान और कृषि आधारित उद्योग जैसे			
	(क) सासेज, केचप आदि	21.03	15135 से 15137 और 15139	
	(ख) फल रस और फल लुगदी	2202.40		
	(ग) जैम, जेली, वनस्पति रस, प्यूरी, आचार आदि	20.01		
	(घ) परिरक्षित फल और वनस्पतियां			
	(ङ) ताजे फलों और वनस्पतियों का प्रसंस्करण जिसमें पैकेजिंग भी है			
	(च) छत्रकों का प्रसंस्करण, परीक्षण, पैंकेजिंग			
5.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जिसमें तेरहवीं अनुसूची में सम्मिलित उद्योग नहीं हैं	19.01 से 19.04		
6.	चीनी और उसके उपोत्पाद	-	-	17019100
7.	रेशम और रेशम उत्पाद	50.04 50.05	17116	
8.	ऊन और ऊन उत्पाद	51.01 से 51.12	17117	
9.	व्यूतित फैब्रिक (उत्पाद-शुल्क्य परिधान)	-	-	6101 से 6117
10.	साधारण शारीरिक व्यायाम के लिए खेलकूद का सामान, वस्तुएं तथा उपस्कर और रोमांचक खेलकूद/क्रियाकलापों, पयर्टन के लिए उपस्कर (केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं)	9506.00		
11.	कागज और कागज उत्पाद जिसमें वे उत्पाद सम्मिलित नहीं हैं जो नकारात्मक सूची में हैं (उत्पाद-शुल्क वर्गीकरण के अनुसार)			
12.	भेषजीय उत्पाद	30.03 से 30.05		
13.	सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, कंप्यूटर हार्डवेयर, काल सेंटर	84.71	30006/7	
14.	खनिज जल का भरण	2201		
15.	पारिस्थितिक पर्यटन जिसके अंतर्गत होटल, रिजॉर्ट, स्पा, मनोरंजन पार्क और रज्जू मार्ग भी हैं	-	55101	
16.	औद्योगिक गैसें (वातावरणीय भिन्न पर आधारित)			
17.	हस्तशिल्प			
18.	गैर-इमारती वन उत्पाद आधारित उद्योग" ।			